

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(1)न्याय/2023

जयपुर, दिनांक

श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

= 5 OCT 2023

विषय:-नव सृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय
कुम्हेर-जिला भरतपुर आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत
करने बाबत।

संदर्भ:-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक
27.09.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक
27.09.2023 के द्वारा सृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय
कुम्हेर-जिला भरतपुर हेतु निम्नलिखित पद सृजित करने की माननीय
राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	पदनाम	पे-स्केल	पे-बैंच/ पे-लेवल/ ग्रेड-पे	पे-मेन्सिज	पदों की संख्या
1	पीएसडी अधिकारी	-	-	-	1
2	स्टेनोग्राफर ग्रेड-1	9300-34800	PB-II/L-12/ 4800	44300	1
3	सेक्रेटरी ग्रेड-1	9300-34800	PB-II/L-11/ 4200	37800	1
4	टैडर ग्रेड-1	9300-34800	PB-II/L-11/ 4200	37800	1
5	लिपिक ग्रेड-1	5200-20200	PB-I/L-8/ 2800	26300	3
6	लिपिक ग्रेड-1A	5200-20200	PB-I/L-5/ 2400	20800	2
7	ग्रोसेस सर्वर	5200-20200	PB-I/L-4/ 2000	19200	4
8	सहायक लेणी कर्मचारी	5200-20200	PB-I/L-1/ 1700	17700	4
	कुल				17

उक्त न्यायालय हेतु नवीन आईटम्स के लिये निम्नानुसार राशि स्वीकृत की जाती है-

क्र.सं.	नवीन आईटम्स	राशि (लाखों में)
1	फर्नीचर	3.00
2	टेलीफोन (1 कार्यालय एवं 1 निवास हेतु)	0.02
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर (3)	1.80
4	फोटो स्टेट मशीन	0.75
5	पीएसडी अधिकारी के कमरे हेतु 1 A.C.	0.45
	योग	6.02

यह व्यय लेखासंख्या 2014-00-105-(19)-[01]-01(राज्य विधि)(प्रतिबद्ध) के अन्तर्गत प्रभार्य होगा।

न्यायालयों के भवन के लिए निर्माण का व्यय भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 60:40 में वहन किया जाता है। नवीन भवन निर्माण हेतु

निर्धारित मापदण्ड अनुसार राशि रूपये 297.10 लाख (केन्द्रीयंश राशि रूपये 178.26 लाख एवं राज्यांश राशि रूपये 118.84 लाख) लेखासद 4059-80-051-03-03-17 वृहद निर्माण कार्य में उपलब्ध बजट प्रावधान से स्वीकृत किये जाते है।

अतः भवन निर्माण हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाने का प्रयास किया जायेगा।

उक्त नवीन न्यायालय हेतु राजकीय भवन उपलब्ध नहीं होने तक के लिये भवन किराये पर लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 102301915 दिनांक 21.08.2023 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय


प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. वित्त व्यय-5/वित्त बजट विभाग।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
4. सहायक लेखाधिकारी, विधि विभाग को केन्द्रीयंश की राशि प्राप्त किये जाने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव


राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

क्रमांक: G/A-4(i)(a)130/2023/ 848-850

दिनांक: 16-10-2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर।
2. अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, कुम्हेर-जिला भरतपुर।
3. OSD (Computer) राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को Website पर Upload करने बाबत।


रजिस्ट्रार (प्रशासन)